श्री दीप चन्द्र आर्य, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी के दिनांक 22.03.2022 के दौरे की निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक 22.03.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद नैनीताल में तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के गौला राजि के आरक्षित वन क्षेत्र अन्तर्गत गौला नदी से उपखनिज चुगान हेतु 1497.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला उप प्रभाग के साथ उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

- तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के गौला राजि के आरक्षित वन क्षेत्र अन्तर्गत गौला नदी से उपखनिज चुगान हेतु 1497.00 है0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला उप प्रभाग, वन क्षेत्राधिकारी, गौला एवं वन विकास निगम के सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।
- उक्त परियोजना हेतु 1497.00 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।
- उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः उक्त कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरमाष/फैक्स : 05946–220003, ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक– 1299 /20-2(6) हल्द्वानी, दिनांक, मार्च, 22 2022।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।